न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

उच्छेदी अपील वाद सं0–02/2024–25

कंचन टुडू एवं अन्य

बनाम

दिलीप मुर्मू एवं अन्य

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद, अपीलकर्त्ता कंचन टुडू एवं अन्य के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0 वाद सं0–38/2022–23 में दिनांक–01.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध उत्तरकारी दिलीप मुर्मू एवं अन्य को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप यह है कि – वर्णित वाद के उत्तरकारी के द्वारा अंचल महेशपुर अंतर्गत मौजा–साहेबराम सं0–176, जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत की भूमि से वर्णित वाद के अपीलकर्ता को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किये जाने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पर सुनवाई उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा विपक्षी (वर्णित वाद के अपीलकर्ता) को मौजा–साहेबराम सं0–176, जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत की भूमि से उच्छेद किया गया है एवं उक्त उच्छेदी आदेश के विरूद्ध ही अपीलकर्ता के द्वारा यह अपील आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

वर्णित वाद अंगीकृत के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अंचल अधिकारी, महेशपुर से मौजा–साहेबराम, जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत की भूमि के भोग–दखल के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी, महेंशपुर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। साथ ही उत्तरकारी को सूचना निर्गत की गयी। उत्तरकारी अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। तदोपरांत दिनांक–10.12.2024 को वाद अंगीकृत के बिन्दु पर उभय पक्षों के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुनकर वर्णित वाद अभिलेख वाद अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर आदेश हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलकर्ता के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अपीलकर्ता का कहना है कि मौजा–साहेबराम, जमाबंदी सं0–09 के खतियानी रैयत शाम मुर्मू के द्वारा अपनी बहन बाले मुर्मू को जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत 08बी0–17क0–10धू0 भूमि उपहार स्वरूप दिया गया। इस संबंध में उनके द्वारा ग्रामीण स्तर पर कागजात तैयार कराया गया एवं इस आधार पर ही बाले मुर्मू के वंशज के द्वारा जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत की भूमि पर भोग–दखल किया जा रहा है।

उत्तरकारी के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये कथन को सुना। इनके द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20 का हवाला देते कहा गया है कि यदि किसी खतियानी रैयत के द्वारा अपनी भूमि अपने बहन या पुत्री को उपहार स्वरूप दी जाती है तो उन्हे भूमि उपहार स्परूप दिये जाने के संबंध में उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है एवं अपीलकर्ता के पूर्वजों के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20 का बगैर अनुपालन किये उनके द्वारा जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत की भूमि का दखल–भोग किया जाना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान का उल्लघंन है।

(लगातार.....)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उभय पक्ष के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना एवं अपीलकर्ता का अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अपीलकर्ता का प्रश्नगत भूमि पर दावा इस आधार पर है कि मौजा–साहेबराम, जमाबंदी सं0–09 के खतियानी रैयत के द्वारा अपनी बहन को जमाबंदी सं0–09 के अंतर्गत 08बी0–17क0–10धू0 भूमि उपहार स्वरूप दिया गया एवं इस संबंध में ग्रामीण स्तर पर कागजात तैयार कराया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20 में वर्णित है कि–

No transfer by a raiyat of his right in his holding or any portion thereof, by sale, gift, mortgage, will, lease or any other contract or agreement, express or implied, shall be valid unless the right to transfer has been recorded in the record-of- rights, and then only to the extent to which such right is so recorded: "

साथ ही उक्त धारा में यह भी उल्लेखित है कि –

Provided further that where gifts by a recorded Santhal raiyat to a sister and daughter are permissible under the Santal Law, such a raiyat may with the previous written permission of the Deputy Commissioner, validly make such a gift:

अपीलकर्ता के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रश्नगत भूमि के उपहार स्वरूप प्राप्त किये जाने से संबंधी उपायुक्त से प्राप्त आदेश की प्रति समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा निम्न न्यायालय (अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़) के द्वारा दिनांक–01.12.2023 को पारित आदेश का अपील आवेदन दिनांक–01.02.2024 को दाखिल किया गया है, जो कालबाधित है।

अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता का अपील आवेदन अंगीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता का प्रश्नगत भूमि पर दावा उनके स्वत्वः (Title) से संबंधित है। अपीलकर्ता चाहे तो अपने स्वत्वः (Title) के निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्ष के मनोनित अधिवक्ता को अवलोकन करायें।

लेखापित एवं संशोधित

11/12/24

उपायुक्त,
पाकुड़।

11/12/24

उपायुक्त,
पाकुड़।

12/12/2024

Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2024.12.19 16:43:15 +05:30
Location: 10.93.52.22